

प्रपत्र-3
भाग - II

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

7.	(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)	
	परियोजना स्कीम का खण्ड	जनपद नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग कोसी रेंज में एन0एच0 121 रामनगर- मोहान मोटर मार्ग (माईलस्टोन 27 कि0मी0 लखनपुर चूंगी – माईलस्टोन 49 कि0मी0 मोहान), रामनगर से अपर कोसी बीट गर्जिया सीमा तक और गर्जिया सीमा से धुलवा बीट मोहान सीमा तक जिसकी कुल लम्बाई 22 कि0मी0 एवं 0.22 हेक्टर, में मोटरमार्ग के किनारे ऑपरेटिकल फाइबर केबिल विछान हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 हितीय तल एन0सी0आर0 प्लाजा, हाथी बड़कला, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	ज़िला	नैनीताल
(iii)	वन प्रभाग	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
(iv)	वनेत्र प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	0.22 हेक्टर, आरक्षित वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.22 हेक्टर, आरक्षित वन भूमि नैनीताल 0.0 हेक्टर सिविल सोयम भूमि 0.0 हेक्टर वन भूमि 0.0 हेक्टर नापभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातियार (वैज्ञानिक नाम) और परिवर्ती श्रेणीवार दृष्टी की परियोजना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक.आर.एल., एक.आर.एल.-2 मीटर पर परियोजना और एक.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य खण्ड पर कोई वृक्ष वाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूमरण के लिए वन क्षेत्र की सर्वेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	— —
(ix)	वनेत्र प्रयोग के लिए प्रस्तावित खण्ड की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा से लगा हुआ है।
(x)	वया फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुमानित की जाए)	नहीं।
(xi)	वया क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशेष प्रजातियां पायी जाती हैं (यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	वया कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक खण्ड/प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सबूती व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ नद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या	प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यूह दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण रक्षीम का व्यूह	अपेक्षित वन भूमि की माग 1.00 हेक्टेएक्ट से कम है। अतः क्षतिपूरक बुकारोपण लागू नहीं है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर क्षेत्र/अवक्षेत्र वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	लागू नहीं है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर/अवक्षेत्र वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	लागू नहीं है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण रक्षीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	लागू नहीं है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण रक्षीम के लिए कुल वित्तीय परिवेष्य।	लागू नहीं है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सभी प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संस्करक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	लागू नहीं है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, 8 गपए गपद्वय 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	लागू नहीं है।
12.	विभाग/जिला प्राकाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4251 कर्म क्षेत्रीय 679400.00 हेक्टेएक्ट
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2100 कर्म क्षेत्रीय 402640.00 हेक्टेएक्ट
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	106 (सौं) 175.5932 हेक्टेएक्ट
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :-	(क) ——
	(ख) वनेतर भूमि पर:-	(ख) ——
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:-	(क) ——
	(क) वन भूमि पर	
	(ख) वनेतर भूमि पर	(ख) 230.2642 हेक्टेएक्ट
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्वया लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित नियमण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक/ कार्यदाती संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्कृति की जाती है।

दिनांक: -
स्थान:-

हस्ताक्षर
नाम:-
मुहर प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर